भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 323
बुधवार, 23 जुलाई, 2025 (1 श्रावण, 1947, (शक) को उत्तरार्थ

आंध्र प्रदेश में निष्क्रिय सहकारी समितियाँ

323: श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में 9 सहकारी समितियों ने गैर-कार्यात्मक हो जाना;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) 9 में से कितने पैक्स हैं;

(घ) उपरोक्त निष्क्रिय सहकारी समितियों को चालू करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयास

कार्यात्मक;

(ङ) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ (एनएएफएससीओबी) ने निष्क्रिय पैक्स पर अध्ययन किया है और उनके पुनरुद्धार के लिए उपाय किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आंध्र प्रदेश में इन सोसाइटियों को पुनर्जीवित करने के लिए नैफ्सकॉब द्वारा अनुशंसित उनके पुनरुद्धार के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के अनुसार, 30.06.2025 तक, आंध्र प्रदेश में कुल **4,936** निष्क्रिय सहकारी समितियाँ हैं। इनमें से **14** निष्क्रिय प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) हैं। आंध्र प्रदेश में कुल निष्क्रिय सहकारी समितियों और निष्क्रिय PACS का जिलावार विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(घ) सहकारिता मंत्रालय ने रुग्ण बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और अवसंरचनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु बहु-राज्य सहकारी

सोसाइटी (MSCS) (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 63ए के अधीन सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना की है । इसके अतिरिक्त, सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स), डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में बदलने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं । यह पहल व्यवसायिक विविधीकरण को बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने और सहकारी समितियों को अधिक व्यापक आर्थिक कार्यकलापों में शामिल होने में सक्षम बनाकर बंद होने से रोकने का उद्देश्य रखती है ।

(ङ) जी हां, महोदय। वर्ष 2022 में, सामान्य श्रेणी के राज्यों में बंद पड़े पैक्स और उनके पुनरुद्धार के उपायों पर एक अध्ययन राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ (NAFSCOB) द्वारा किया गया था और पूर्वोत्तर राज्यों के 3 राज्यों की पहचान की गई थी।

(च) NAFSCOB द्वारा किए गए अध्ययन में विभिन्न राज्यों में प्रसुप्त और निष्क्रिय पैक्स की स्थिति को परिभाषित और मूल्यांकन करने तथा महत्वपूर्ण कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया । अध्ययन रिपोर्ट में सिफारिशों के कार्यान्वयन और उनकी आवधिक समीक्षा के लिए आगे का रास्ता भी सुझाया गया है। NAFSCOB के निदेशक मंडल द्वारा 29-12-2022 को आयोजित बैठक में लिए गए संकल्प के अनुसार, सदस्य राज्य सहकारी बैंकों ने संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के ढांचे के भीतर सिफारिशों का अध्ययन करने का आश्वासन दिया।

अध्ययन रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रसुप्ति बीमारी का पहला चरण है और अगर समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया, तो ये समितियाँ अंततः निष्क्रिय हो जाएँगी। चूँकि रोकथाम इलाज से बेहतर है, इसलिए प्रसुप्ति के कारणों की पहचान करने और उसके तुरंत बाद सुधारात्मक उपाय शुरू करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि समितियां निष्क्रिय न हो जाए। अध्ययन रिपोर्ट में निष्क्रिय पैक्स के पुनरुद्धार के लिए सुझाए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- सदस्यता का पुनरुद्धार और नये सदस्यों का नामांकन।
- सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना, उनके अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- चुनाव कराना और प्रबंधन बोर्ड का गठन करना।
- प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों की क्षमता निर्माण, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- व्यवसाय मानदंडों के अनुसार अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन नीति का कार्यान्वयन।
- परिसंपत्तियों की उचित सूची तैयार करना तथा उस पर नियंत्रण रखना।
- जब तक सोसायटी व्यवहार्य न हो जाए, इक्विटी, आवश्यक बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक व्यय आदि के लिए वित्तीय सहायता।
- जमा, अग्रिम और अन्य सेवाओं के संबंध में एसओपी का विकास और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

- ईआरपी समाधान के रूप में समितियों की सभी गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण, न कि केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए।
- PACS और STCCS को बाहरी हस्तक्षेप से बचाना।
- पीएसीएस के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक उचित एमआईएस लागू करना तथा उच्च वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा नियमित समीक्षा को संस्थागत बनाना।

****

अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में जिलेवार गैर-कार्यात्मक सहकारी समितियाँ

क्र.सं.	जिले का नाम	गैर-कार्यात्मक सोसायटियों की कुल संख्या	गैर-कार्यात्मक PACS की संख्या
1	अल्लूरी सीताराम राजू	17	1
2	अनकापल्ली	396	0
3	अनंतपुर	1558	6
4	अन्नमय्या	167	0
5	बापतला	125	0
6	चित्तूर	25	0
7	पूर्वी गोदावरी	39	0
8	एलुरु	16	4
9	गुंटूर	175	0
10	काकीनाडा	40	0
11	कोनासीमा	6	0
12	कृष्णा	17	0
13	कुर्नूल	35	0
14	नांदयाल	447	0
15	एनटीआर	102	0
16	पालनाडु	21	0
17	पार्वतीपुरम मान्यम	3	1
18	प्रकाशम	109	0
19	एसपीएसआर नेल्लोर	1112	2
20	श्री सत्य साईं बाबा	70	0
21	श्रीकाकुलम	20	0
22	तिरुपति	321	0
23	विशाखापत्तनम	46	0
24	विजयनगरम	17	0
25	पश्चिम गोदावरी	16	0
26	वाई. एसआर	36	0
	कुल	**4,936**	**14**

स्रोत एनसीडी पोर्टल 30.06.2025 तक